बिहार सरकार
योजना एवं विकास विभाग

अधिसूचना

अधिसूचना संख्या–यो01/स्था012–02/2011...1221.../यो0वि0,पटना, दिनांक...12.03.18 भारत– संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल, बिहार स्थानीय क्षेत्र अवर अभियंत्रण (असैनिक) संवर्ग की नियुक्ति एवं सेवा शर्तों को विनियमित करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते है:–

भाग–I

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ।– (1) यह नियमावली "बिहार स्थानीय क्षेत्र अवर अभियंत्रण (असैनिक) संवर्ग भर्त्ती नियमावली, 2018" कही जा सकेगी।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह तुरंत प्रवृत्त होगी।

2. **परिभाषाएँ।**– इस नियमावली में, जब तक कोई बात विषय या सन्दर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो: –

(i) "सरकार" से अभिप्रेत है बिहार सरकार ;

(ii) "विभाग" से अभिप्रेत है, योजना एवं विकास विभाग, बिहार सरकार ;

(iii) "नियुक्ति प्राधिकार" से अभिप्रेत है, योजना एवं विकास विभाग के सचिव/प्रधान सचिव अथवा विभाग द्वारा इस प्रयोजनार्थ प्राधिकृत कोई अन्य पदाधिकारी;

(iv) "आयोग" से अभिप्रेत है, बिहार तकनीकी कर्मचारी चयन आयोग अथवा उसके कार्यरत होने तक बिहार कर्मचारी चयन आयोग ;

(v) "संवर्ग" से अभिप्रेत है, बिहार स्थानीय क्षेत्र अवर अभियंत्रण (असैनिक) संवर्ग;

(vi) "संवर्ग के सदस्य" से अभिप्रेत है, इस नियमावली के प्रावधानों के अधीन नियमित रूप से नियुक्त एवं कार्यरत व्यक्ति ;

3. संवर्ग का गठन।– बिहार स्थानीय क्षेत्र अवर अभियंत्रण (असैनिक) संवर्ग के अधीन मूल कोटि का पद ''कनीय अभियंता (असैनिक)'' होगा। सरकार द्वारा, समय–समय पर, इस पद के लिए वेतनमान एवं ग्रेड–पे विनिश्चित किया जाएगा।

4. स्वीकृत बल।– इस संवर्ग का स्वीकृत बल राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर विनिश्चित किया जायेगा।

5. आरक्षण।– बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गो के लिए) अधिनियम–1991 (अधिनियम–3, 1992) (समय–समय पर यथा संशोधित) एवं उसके अधीन बनायी गयी नियमावली के प्रावधान एवं संकल्प संख्या– 963 दिनांक 20.01.2016 द्वारा यथा विहित महिलाओं के लिए क्षैतिज आरक्षण के प्रावधान तथा राज्य सरकार द्वारा, समय–समय पर, यथा विहित रोस्टर एवं आरक्षण के प्रावधान नियुक्ति में लागू रहेंगे।

भाग–II

संवर्ग में नियुक्ति

6. नियुक्ति।– इस संवर्ग में प्रथम नियुक्ति सीधी भर्त्ती द्वारा कनीय अभियंता (असैनिक) के पद पर होगी। इस पद पर प्रोन्नति के आधार पर कोई प्रवेश नहीं होगा।

7. नियुक्ति प्राधिकार द्वारा प्रत्येक वर्ष पहली अप्रैल को रिक्तियों की गणना कोटिवार की जाएगी एवं तदनुसार विभाग के माध्यम से आयोग को 30 अप्रैल तक आरक्षण कोटिवार अधियाचना भेजी जायेगी।

8. नियम–7 के तहत की गई अधियाचना के आधार पर आयोग, समय–समय पर, उस रीति से जैसा कि वह उचित समझे, इस संवर्ग की आरक्षण कोटिवार रिक्तियों को सीधी भर्त्ती द्वारा, नियुक्ति से भरने के लिये विज्ञापित करेगा।

9. अर्हताएँ।– (1) इस संवर्ग में नियुक्ति के लिए अर्हता निम्नवत् होगीः–

(i) अभ्यर्थी का भारतीय नागरिक होना आवश्यक है।

(ii) अवर अभियंत्रण संवर्ग के लिए असैनिक अभियंत्रण में डिप्लोमा अथवा समकक्ष योग्यताधारी।

(iii) चयन हेतु तकनीकी योग्यता/अर्हताः–

(क) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त संस्थानों के असैनिक अभियंत्रण (Civil Engineering) के डिप्लोमाधारी जिन्हें संबंधित तकनीकी शिक्षा पर्षद/विश्वविद्यालय के द्वारा डिप्लोमा प्रदत्त हो, अथवा

(ख) UGC Act के प्रावधानो के अंतर्गत स्थापित DEEMED University द्वारा Non-Distance Mode में असैनिक अभियंत्रण में प्रदत्त डिप्लोमा बशर्ते कि उक्त DEEMED University को असैनिक अभियंत्रण (Civil Engineering) में डिप्लोमा पाठ्यक्रम संचालित करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्वीकृति प्राप्त हो।

(2) अधियाचना वर्ष के 1ली अगस्त को अभ्यर्थी की उम्र न्यूनतम 18 वर्ष होनी चाहिए। अधिकतम आयु राज्य सरकार (सामान्य प्रशासन विभाग) के द्वारा समय–समय पर आरक्षण कोटिवार विनिश्चित उम्र सीमा के अन्तर्गत होनी चाहिए, किन्तु संविदा के आधार पर पूर्व से नियोजित कनीय अभियंता (असैनिक) हेतु अधिकतम उम्र सीमा में अधिकतम 10 वर्षो की संविदा नियोजित अवधि की छूट अनुमान्य होगी।

10. चयन की प्रक्रिया।– (1) इस सवर्ग के मूल कोटि, कनीय अभियंता (असैनिक) के पदों पर चयन डिप्लोमा अथवा समकक्ष योग्यता में प्रतिशत प्राप्ताक के आधार पर आयोग द्वारा किया जायेगा। बिहार सरकार या बिहार सरकार के अधीन किसी उपक्रम/निगम/निकाय/प्राधिकार/ स्वशासी निकाय में संविदा के आधार पर कनीय अभियंता (असैनिक) के पद पर कार्य करने का अनुभव रखने वाले अभ्यर्थी, जो इस संवर्ग में भर्त्ती की अर्हत्ता पूरी करते हैं, को चयन में इस नियम के उप नियम–(2) (ख) के अनुसार अतिरिक्त अंक देकर अधिमानता दी जाएगी।

(2) अभ्यर्थियों की मेधा सूची निम्नलिखित आधार पर तैयार की जाएगी –

		पूर्णांक
(क) डिप्लोमा अथवा समकक्ष योग्यता के प्रतिशत प्राप्तांक के आधार पर	–	75 अंक

(ख) संविदा के आधार पर कार्य करने के निमित्त अधिकतम अधिमानता (प्रति कार्यरत वर्ष के लिए 5 अंक जिसकी अधिकतम सीमा 25 अंक की होगी। किसी वर्ष के अश के लिए कार्यरत दिवसो की संख्या में संख्या 5 से गुणा करने के पश्चात् 365 से भाग देकर प्राप्त अनुपातिक अंक जोड़ा जाएगा।) – 25 अंक

कुल – 100 अंक

(3) संविदा के आधार पर कार्यरत अवधि का विनिश्चिय संबंधित नियत्री पदाधिकारी द्वारा निर्गत वेतन भुगतान प्रमाण–पत्र के आधार पर किया जाएगा। इस हेतु आयोग द्वारा प्रकाशित विज्ञापन में अंकित कट–आफ डेट की अवधि तक की गणना कार्य अनुभव के लिए की जा सकेगी।

(4) असैनिक डिप्लोमाधारी उम्मीदवारों की कनीय अभियंता (असैनिक) के रूप में नियुक्ति निम्नलिखित रीति से की जाएगी :–

(क) बिहार स्थानीय क्षेत्र अवर अभियंत्रण (असैनिक) सवंर्ग भर्ती नियमावली, 2018 के नियम–5 के तहत कुल रिक्त पदों का आरक्षण कोटिवार 40 प्रतिशत पद राज्य के अधीन सरकारी पोलिटेक्निक संस्थानो से असैनिक डिप्लोमाधारी उम्मीदवारों के लिए आरक्षित रहेगी जिन्हे आरक्षण कोटिवार उपरोक्त नियम– 10 (2) के द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के तहत तैयार मेधा सूची के आधार पर भरा जाएगा।

(ख) शेष रिक्ति आरक्षण कोटिवार बिहार स्थानीय क्षेत्र अवर अभियंत्रण (असैनिक) सवंर्ग भर्ती नियमावली, 2018 के नियम– 9 (1) (iii) द्वारा निर्धारित योग्यता/अर्हत्ता के आधार पर नियम–10 (2) में निर्धारित प्रक्रिया के तहत तैयार मेधा सूची के आधार पर की जाएगी।

(ग) कंडिका (ख) के रिक्त पदो के सामान्य प्रक्रिया से भरे जाने के पश्चात् मेधा सूची के आधार पर कंडिका (क) के अवशेष आरक्षित पदो को, राज्य के अधीन सरकारी पोलिटेक्निक संस्थान से उत्तीर्ण अभ्यर्थियों में से आरक्षण कोटिवार मेधा क्रम में चयन द्वारा भरा जाएगा।

11. आयोग नियम–10 के अनुसार चयनित उम्मीदवारों की अंतिम मेधा सूची तैयार करेगा एवं उसे सरकार को नियुक्ति हेतु अनुशंसित करेगा। आयोग द्वारा अनुशंसित उम्मीदवारों का पैनल एक वर्ष के लिए वैध होगा।

भाग–III

प्रोन्नति एवं वरीयता

12. **प्रोन्नति।**– कनीय अभियंता (असैनिक) के पद से उच्चतर पदों पर प्रोन्नति बिहार अभियंत्रण सेवा नियमावली में विनिश्चित प्रावधानों के अधीन होगी।

13. **वरीयता का अवधारण।**– आयोग द्वारा अनुशंसित मेधा क्रम के अनुसार कनीय अभियंता (असैनिक) के पद पर वरीयता का अवधारण विभाग द्वारा किया जायेगा। पूर्व से नियुक्त एवं कार्यरत कनीय अभियंताओं की वरीयता अक्षुण्ण रहेगी।

भाग–IV

प्रकीर्ण

14. **अनुशासन, नियंत्रण एवं अपील।**– (1) बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 (समय–समय पर यथासंशोधित) के प्रावधान अनुशासन, नियंत्रण एवं अपील के मामले में, बिहार स्थानीय क्षेत्र अवर अभियंत्रण (असैनिक) संवर्ग के सदस्यों पर लागू होगी।

(2) इस नियमावली में विशिष्ट रूप से अनुपबंधित सेवा शर्तें बिहार सेवा संहिता एवं राज्य सरकार द्वारा, समय–समय पर, जारी अन्य निर्णयों से शासित होगी।

15. **कठिनाईयों का निराकरण।**–इस नियमावली के प्रावधानों में से किसी को प्रभावी करने में यदि कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो राज्य सरकार, विधि विभाग से परामर्श के पश्चात् राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, इस नियमावली के प्रावधानों से असंगत न हो, ऐसा प्रावधान कर सकेगी जो कठिनाईयों के निराकरण के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत होता हो।

16. **अवशिष्ट मामलें।**– (1) इस संवर्ग के सभी अवशिष्ट मामले योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना के प्राधिकार की अधिकारिता के अधीन होंगे।

(2) इस नियमावली में से किसी भी नियम के निवर्चन कोई संदेह की दशा में उसे विभाग को निर्दिष्ट किया जाएगा और जिस पर विभाग का विनिश्चय, विधि विभाग के परामर्श के पश्चात्, अंतिम होगा।

17. निरसन एवं व्यावृति।— (1) इस संदर्भ में वर्त्तमान नियमों/विनियमों को एतद्द्वारा निरस्त किए जाते हैं।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, वर्त्तमान नियमों/विनियमों के अधीन किया गया अथवा की गयी कार्रवाई इस नियमावली के प्रावधानों के अधीन किया गया अथवा की गयी मानी जायेगी मानो यह नियमावली उस दिन प्रवृत्त थी जब ऐसा कुछ भी किया गया अथवा ऐसी कार्रवाई की गई थी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(मनीष कुमार वर्मा)
सरकार के सचिव

ज्ञापांकः— यो01/स्था012—02/2011................/यो0वि0,पटना, दिनांक 12/03/14
प्रतिलिपिः— महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(मनीष कुमार वर्मा)
सरकार के सचिव

ज्ञापांकः– यो01/स्था012–02/2011................../यो0वि0,पटना, दिनांक 12/03/18
प्रतिलिपिः– वित्त विभाग, ई0 गजट कोषांग, पटना को हार्ड एवं सॉफ्ट कॉपी के साथ बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

2. अनुरोध है कि इस अधिसूचना की 500 (पाँच सौ) मुद्रित प्रतियाँ योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को भेजने की कृपा की जाय।

(मनीष कुमार वर्मा)
सरकार के सचिव

ज्ञापांकः– यो01/स्था012–02/2011................../यो0वि0,पटना, दिनांक 12/03/18
प्रतिलिपिः– महामहिम राज्यपाल के सचिव/माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/महाधिवक्ता, बिहार/मुख्य सचिव, बिहार/सभी विभागीय प्रधान सचिव/सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/महानिबंधक, पटना उच्च न्यायालय/सचिव, बिहार विधान सभा/विधान परिषद/मुख्यमंत्री सचिवालय/उप मुख्यमंत्री के आप्त सचिव, बिहार, पटना/बिहार लोक सेवा आयोग, पटना/सचिव, बिहार कर्मचारी चयन आयोग,पटना/सचिव, बिहार तकनीकी कर्मचारी चयन आयोग, पटना/सभी कोषागार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(मनीष कुमार वर्मा)
सरकार के सचिव

ज्ञापांकः– यो01/स्था012–02/2011................../यो0वि0,पटना, दिनांक 12/03/18
प्रतिलिपिः– माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/मुख्य अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, विश्वेश्वरैया भवन, बेली रोड, पटना/सभी अधीक्षण अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य अंचल, बिहार/सभी कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(मनीष कुमार वर्मा)
सरकार के सचिव

ज्ञापांकः– यो01 / स्था012–02 / 2011............... / यो0वि0,पटना, दिनांक...12/03/18

प्रतिलिपिः– आई0टी0मैनेजर, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(मनीष कुमार वर्मा)
सरकार के सचिव